संख्या-३/२०१८/१५३६/५७-२०१८-३(७०)/२०१३

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, पर्यटन भवन,
गोमती नगर,लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग — लखनऊः दिनांकः १५ नवम्बर, २०१८

विषयः जनपद वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग के विस्तारीकरण/ सुन्दरीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण योजनान्तर्गत भवनों के अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु उक्त् मद में प्राविधानित धनराशि रू0-३,६०,००,००,०००/- (रूपये तीन अरब साठ करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि रू0-२,१०,००,००,०००/- (रू0-दो अरब दस करोड़ मात्र)में से रू0-१००,००,००,०००/- (रूपये एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अनुदान सं0-८४ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-४२५०-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-८००-अन्य व्यय-०७&वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग का विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण-२४-वृहत निर्माण कार्य मद से अवमुक्त कर जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(१) प्रस्तावित भूमि/भवनों के अधिग्रहण की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी ¼वित्त एवं राजस्व½ वाराणसी, सचिव] वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी एवं अधीक्षण अभियन्ता] लोक निर्माण विभाग] वाराणसी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जायेगी।

(२) भवनों के अधिग्रहण के संबंध में समय-समय पर निर्गत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

(३) प्रस्तावित भूमि/भवनों के अधिग्रहण पर कोई सेन्टेज चार्जेज आदि देय नहीं होगा।

(४) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तखण्ड पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

(५) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाये।

(६) परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथोरिटी से स्वीकृत करा लिया जाये।

(७) स्वीकृतधनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिटखाते में नही रखा जायेगा।

(८) उक्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(९) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में ३१ मार्च २०१९ तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे ३१ मार्च २०१९ से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

३- उक्त व्यय अनुदान सं0-८४ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ४२५०-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-८००-अन्य व्यय-०७&वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग का विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण-२४-वृहत निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-३/२०१८/१५३६/१५३६(१)/५७-२०१८-३(७०)/२०१३ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं अधिकारी प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी/।
(4) वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय उ0प्र0।
(5) जिलाधिकारी, वाराणसी/मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी।
(6) उपाध्यक्ष् वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।
(7) अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग वाराणसी।
(8) वित्त व्यय नियंत्रण-5, सामान्य प्रशासन अनुभाग। गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार तिवारी
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।